



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345]
No. 345]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2013/माघ 26, 1934
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2013/MAGHA 26, 1934

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2013

का.आ. 372(अ).—केन्द्रीय सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खण्ड (द) के पहले परंतुक के खंड (iii) के अनुसरण में भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1784(अ), तारीख 7 अगस्त, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में,— 'अधिकारी का नाम, पदनाम और पता' से संबंधित स्तंभ (2) के अधीन क्रम संख्यांक 3 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

“श्री लाकपा टी. शेरपा,
कार्यपालक निदेशक (कार्मिक और प्रशासन),
भिलाई इस्पात संयंत्र,
संयंत्र भवन,
भिलाई-490001
राज्य-छत्तीसगढ़”।

[फा. सं. 8(16)/2012-सेल-पीसी(पार्ट-2)]

उपेन्द्र प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1784(अ), तारीख 7 अगस्त, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF STEEL

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2013

S.O. 372(E).—In pursuance of clause (iii) of the first proviso to clause (n) of Section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Steel, number S. O. 1784(E), dated the 7th August, 2012, namely :—

In the said Notification, in the Table, against serial number 3, for the entries under column (2) relating to Name, designation and address of the officer, the following entries shall be substituted, namely :—

“Shri Lakpa T. Sherpa,
Executive Director (Personnel and Administration),
Bhilai Steel Plant,
Sanyantra Bhawan,
Bhilai-490001,
State Chhattisgarh”.

[F. No. 8(16)/2012-SAIL-PC(Pt.2)]

UPENDRA PRASAD SINGH, Jt. Secy.

Note :—The principal notification was published vide number S.O. 1784(E), dated the 7th August, 2012.